



साभार पेमेनेजर इन्फो ग्रुप



प्रश्न 1- एक नवीन कर्मचारी का 2 वर्ष की सेवा पश्चात वेतन फिक्सेशन 6 अक्टूबर 2018 को हुआ। क्या उसको दीवाली का बोनस मिलेगा?

उत्तर - एक अराजपत्रित राजकीय कार्मिक को यह बोनस 2018-19 वर्ष का मिल रहा है | इस केस में कार्मिक के 18-19 में मार्च 19 तक कुल 6 महीने से कम की नियमित सेवा हो रही है इसलिए बोनस नहीं मिलेगा |

6 माह से अधिक सेवा और 11 एख तक की सेवा पर आनुपातिक बोनस मिलेगा |

पूरे 12 माह की सेवा पर पूरा बोनस देय होगा |

ध्यान रहे कि फिक्स वेतन अराजपत्रित कार्मिक को बोनस देय नहीं है |



प्रश्न 2- एक कार्मिक की प्रथम नियुक्ति तिथि 14 अगस्त 2019 है। वह 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक अवकाश लेना चाहता है तो उसे अवकाश अधिकतम कितनी सीएल देय होगी ?

उत्तर - अवकाश नियमानुसार एक नवनियुक्त कार्मिक को निम्नानुसार आकस्मिक अवकाश देय है-
3 माह से कम सेवा अवधि *पर अधिकतम 5 CL मिलेगी।

3 माह से अधिक लेकिन 6 माह से कम सेवा अवधि पर 10 CL मिलेगी।

6 माह से अधिक की सेवा अवधि पर 15 CL मिलेगी।



प्रश्न 3- एक कार्मिक की वरिष्ठ अध्यापक पद पर प्रथम नियुक्ति 02 नवम्बर 2011 को हुई है। 05 सितम्बर 2016 पदोन्नति व्याख्याता के रूप में हुई। उसे प्रथम ACP किस वर्ष में देय होगी ?

उत्तर - कार्मिक की व्याख्याता पद पर पदोन्नति होने से इसका सेवा वर्ग अधीनस्थ सेवा से राज्य सेवा हो गया जिसमें 9,18,27 के स्थान पर 10,20,30 वर्ष की सेवा पर एसपी मिलती है। इसलिए इस केस में प्रथम एसपी नहीं मिलेगी क्योंकि 9 वर्ष की सेवा से पूर्व ही कार्मिक की पदोन्नति हो चुकी है ।

अब 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 2/11/2031 से दूसरी एसपी मिलेगी।



प्रश्न -4: किसी शिक्षक की प्रथम नियुक्ति 2005 की है तथा 2017 में RPSC से प्राध्यापक पर चयन होकर 2019 में प्राध्यापक पर स्थाईकरण हो गया।

क्या उसके 2017 से 2019 के मध्य दो वर्ष ML व PL जुड़ेगी ?

उत्तर - राजस्थान-सरकार के शिक्षा गुप-2 विभाग के आदेश क्रमांक प-17(2)शिक्षा-2/2008 जयपुर दिनांक 18/10/17 के अनुसार

1 ➡ पूर्व में राजकीय सेवा में कार्यरत कोई कार्मिक सीधी भर्ती से उच्च पद पर चयनित होता है एवम उस पद के प्रोबेशन में fix मानदेय के बदले पुराने पद के वेतन अनुसार विद्यमान वेतन ही आहरित करने का ऑप्शन देता है उस स्थिति में 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में कोई PL अथवा HPL अवकाश अर्जित नहीं होगा।

2 ➡ इस प्रकार के केस में पूर्व सेवा से अर्जित कर जमा किये हुए PL/HPL का उपयोग कार्मिक प्रोबेशन पीरियड में कर सकता है।



प्रश्न 5 निम्नलिखित अराजपत्रित कार्मिक को कितना बोनस मिलेगा अगर वह-

- (1) 31 मई 2018 को सेवानिवृत्त होता है।
- (2) 30 नवम्बर 2018 को सेवानिवृत्त होता है।
- (3) 31 मार्च 2019 को सेवानिवृत्त होता है।

उत्तर ➡ तीनों सवालों में उल्लिखित कार्मिक 1/4/19 को सेवा में नहीं होने से इस वर्ष बोनस नहीं मिलेगा।

बोनस हेतु कार्मिक को 1 अप्रैल 2019 को सेवारत होना अनिवार्य है।



प्रश्न 6- निम्नांकित अराजपत्रित कार्मिकों को अंकित तिथि अनुसार 27 वर्षीय ACP लगने से 5400 ग्रेड पे मिल गई तो इन कार्मिकों को कितना बोनस मिलेगा ?

- (1) एसीपी दिनांक 5 मई 2018
- (2) एसीपी दिनांक 15 नवम्बर 2018
- (3) एसीपी दिनांक 3 मार्च 2019

उत्तर ➡ (1) 5 मई 18 को ग्रेड पे 5400 हो गई इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रेड पे 4800 की अवधि केवल 1 महीना 4 दिन ही होती है अतः बोनस नहीं मिलेगा।

उत्तर ➡ (2) ग्रेड पे 5400 15 nov 18 को मिलने से वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रेड पे 4800 की अवधि सात महीने होने से बोनस भी 7 महीने का अनुपातिक रूप से मिलेगा।

उत्तर ➡ (3) ग्रेड पे 5400 मार्च 19 में मिली है इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रेड पे 4800 की अवधि 11 महीने है इसलिए आनुपातिक 11 माह का बोनस मिलेगा।



प्रश्न 7- एक लिपिक की प्रथम नियुक्ति तिथि 1 अप्रैल 2017 है। क्या वह बोनस प्राप्त करने का हकदार है ?

उत्तर ➡ कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति तिथि 1/4/17 है इस लिए 2 वर्ष का प्रोबेशन पूरा होने के बाद 1/4/19 से नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण होगा।

इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 का इस वर्ष मिलने वाला बोनस देय नहीं होगा।

नोट प्रोबेशन की अवधि में जो -fix मानदेय प्राप्त कर रहे हैं उनको बोनस नहीं मिलता है।

(1 अक्टूबर 2016 से पूर्व नियुक्त सभी अराजपत्रित कार्मिकों को बोनस मिलेगा)



प्रश्न 8 - क्या एक अध्यापक ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन या दीपावली अवकाश के साथ आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर सकता है ?

उत्तर 1 → वेकेशन के क्रम में CL देय नहीं है इसलिए ग्रीष्मावकाश के साथ आगे या पीछे CL नहीं ले सकते हैं। आवश्यकता होने पर One Side में PL/ ML ले सकते हैं।

उत्तर 2 → दीपावली अवकाश वेकेशन नहीं होता है इसे mid term break कहते हैं। इसी प्रकार शीतकालीन अवकाश भी वेकेशन नहीं है उसे winter break कहते हैं।
इसलिए शीतकालीन एवम दीपावली अवकाश के साथ CL ले सकते हैं।



प्रश्न 9- एक कार्मिक अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 1 जुलाई 19 से 13 जुलाई 19 तक उपार्जित अवकाश पर रहता है। वह यात्रा पूर्ण पश्चात 14 जुलाई को कार्यालय में कार्यग्रहण करता है तो उसे वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ किस तिथि से देय होगा ?

उत्तर → जुलाई को कोई कार्मिक CL के अलावा अन्य किसी प्रकार के अवकाश पर रहता है तो नियमित वार्षिक वेतनवृद्धि 1 जुलाई को ही स्वीकृत होगी परन्तु कार्मिक को इसका आर्थिक लाभ अवकाश से पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होता है।
इस केस में कार्मिक 1 से 13 जुलाई 19 तक PL अवकाश पर है अतः वेतनवृद्धि 1 जुलाई को ही सेक्शन होगी परन्तु इसका आर्थिक लाभ 14 जुलाई 19 से मिलेगा।



प्रश्न 10- एक कार्मिक के होम लोन होने से आयकर में रिबेट ले रहा है क्या वह एचआर की छूट लेने का हकदार है ?

उत्तर - मकान किराए की रिबेट उस कार्मिक को मिलेगी जो अपने पदस्थापन स्थान पर किराए के मकान में रह रहा हो जिसका पोस्टिंग प्लेस हेडक्वार्टर पर स्वयं का मकान नहीं है और होम लोन अपने निवास स्थान पर मकान निर्माण के लिए लिया है।

होम लोन लेकर मकान निर्माण पूर्ण कर लिया है और उस मकान को किराए पर दिया है तो वह इनकम Other income from house property में show करनी होगी।

जिस स्थान पर पोस्टिंग है और वही आपने होम लोन लेकर मकान बनाया है तो आपको HRA की छूट नहीं मिलेगी।



प्रश्न 11- यदि कोई कार्मिक maternity leave पूर्ण करने के बाद भी मजबूरी वश Join नहीं कर पाये तो उसको कौनसा अवकाश दिया जाएगा ?

उत्तर → वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-1(5)वित्त/नियम/96 दिनांक 26.02.2002 के अनुसार मातृत्व अवकाश के साथ CL के अलावा अन्य कोई भी अवकाश लिया जा सकता है



प्रश्न 12- एक कार्मिक के खाते में 300 प्लस 10 PL जमा है अब कर्मचारी 15 PL का नगद भुगतान उठाता है तो उसके अवकाश लेखे में अवकाश का इंड्राज कैसे होगा और शेष अवकाश को किस प्रकार अंकित किया जाएगा ?

उत्तर→वित्तिय विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-1(4)एफडी/Rules/98 दिनांक 12/12/12 के द्वारा उन कर्मचारियों के जिनके 1 jan एवम 1july को अग्रिम रूप से 15-15 PL जुड़ती है उनके अवकाश खाते में 300+15 दिन तक PL जोड़ने की अनुमति दी गई है।

उक्त अतिरिक्त प्लस की गई 15 दिन की PL को आगामी 6 महीने में उपयोग करना पड़ेगा यदि आगामी 6 महीने में इसका उपयोग नहीं करने पर यह लेप्स हो जायेगी।

→लेखाविज्ञ जुलाई 16 के पृष्ठ 36 पर वित्तीय विभाग द्वारा गए स्पस्टीकरण के अनुसार उक्त 15 दिन PL के उपयोग(Taken) में अवकाश के समर्पण अथवा अवकाश पर रहना दोनों माने जायेंगे।

→इस लिए इस केस में 300+10 दिन में से 15 दिन का समर्पित अवकाश लेने के बाद अवकाश खाते में 295 दिन PL शेष रहेगी।



प्रश्न 13 - मेरा राज्य बीमा पॉलिसी बॉण्ड खो गया है। मुझे बॉण्ड पुनः प्राप्त करने का प्रोसेस बताये।

उत्तर→राज्य बीमा की डुप्लीकेट पॉलिसी बॉण्ड प्राप्त करने का शुल्क 100 रु है ।

डुप्लीकेट पॉलिसी बॉण्ड प्राप्त करने हेतु अपनी SSO Id से online payment टैब में जाकर 100 रु का चालान जरनेट कर उसे बैंक में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा करावे/फिर उक्त चालान की प्रति सलग्न कर आवेदन पत्र एवम 50रु के स्टाम्प पर पॉलिसी खो जाने या नष्ट होने का कारण लिख कर शपथ पत्र तैयार करे एवम अपने जिले के GPF कार्यालय में प्रस्तुत करें एवम डुप्लीकेट बॉण्ड प्राप्त करे।



प्रश्न 14- मैं एक विद्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। क्या मुझे द्वितीय शनिवार को कार्य करने की एवज में CCL उपभोग करने का अधिकार है ?

उत्तर→विद्यालयों में द्वितीय शनिवार के बदले इयूटी देने पर क्षतिपूर्ति अवकाश)CCL) देने का राजकीय नियमानुसार प्रावधान है।

संस्था प्रधान द्वारा आदेशित करने पर रविवार तथा अन्य कोई राजपत्रित अवकाश में यदि कोई मंत्रालयिक कर्मचारी या चतुर्थ श्रेणी कार्मिक को इयूटी पर बुलाया जाता है तो उतने दिनों के बदले उस कार्मिक को क्षतिपूर्ति अवकाश(CCL) भी देय होगा।

नोट विद्यालयों एवम चिकित्सालयों को-5 days weak की व्यवस्था से भी मुक्त रखा गया है।



प्रश्न 15- मैं प्रोबेशन काल में पितृत्व अवकाश लेना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मुझे पितृत्व अवकाश मिल जाएगा और यह अवकाश मेरी पत्नी की प्रसूति तिथि से पूर्व और पश्चात कितनी अवधि तक उपभोग किया जा सकता है ?

उदाहरणार्थ मेरी पत्नी की प्रसूति दिनांक -15 अक्टूबर 2019 है तो क्या मैं पितृत्व अवकाश 15

अक्टूबर से पूर्व ले सकता हूँ या मैं 15 नवम्बर के बाद लेना चाहूँ तो मुझे पितृत्व अवकाश मिल जाएगा ?

उत्तर→ RSR 1951 के नियम 103A के अनुसार प्रत्येक पुरुष कार्मिक को जिसके 2 से कम संतान है, उसे अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में 2 बार 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है। यह अवकाश प्रोबेशनर कार्मिक को भी देय है।

उक्त अवकाश को बच्चे के जन्म से (प्रसूति) 15 दिन पूर्व और जन्म की तिथि से 3 माह की अवधि में ले सकते हैं। इसका निर्धारित तिथि में उपयोग नहीं करने से यह अवकाश लेप्स हो जाता है। गर्भपातगर्भसाव होने पर पितृत्व अवकाश देय नहीं होता है। इस अवकाश के साथ)C L के अलावा अन्य कोई भी अवकाश ले सकते हैं।

बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के साथ अवकाश का आवेदन प्रस्तुत करने पर अवकाश सेक्शन हो जायेगा इसकी सेवा पुस्तिका में अलग से एंट्री होती है परन्तु अवकाश लेखा में इंट्राज नहीं होता है।

उक्त प्रश्न में प्रसूति की संभावित तिथि 15/10/19 है अतः इस केस में 15 oct 19 से 15 दिन पहले 01 oct से एवम 15 oct 19 से 3 महीने की अवधि में पितृत्व अवकाश का उपयोग किया जा सकता है।



प्रश्न 16- हमारे प्रधानाचार्य महोदय का स्थानांतरण हो गया है। अब हमें 03 पॉवर लेने के लिए क्या करना होगा ?

उत्तर→ 03 DDO के वित्तीय पॉवर हेतु शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र भर कर उचित माध्यम से अपने DEO Sec (Hq) को प्रेषित करें।

इसके साथ निम्न कार्यवाही भी पूर्ण कर आवेदन पत्र के साथ सलग्न करें।

- 1→ मृत्यु सेवानिवृत्त होने वाले/ ट्रांसफर/DDO का सम्बन्धित आदेश एवम शाला दर्पण से किये गए कार्यमुक्ति आदेश की प्रति
- 2→ चार्ज हस्तांतरण की प्रति
- 3→ जिनको 03 का चार्ज देना है उनके वर्तमान पद पर पदस्थापन आदेश की प्रति।
- 4→ निर्धारित आवेदन पत्र पर 03 का चार्ज लेने वाले सम्बन्धित अधिकारी की सहमति लेवे। इस हेतु प्रपत्र पर उनके हस्ताक्षर अवश्य करावे।

नोट उसी स्कूल में लेक्चरर कार्यरत है तो उसे -03 का पावर मिल सकता है।

जो अधिकारी प्रोबेशन में है, उसे यह 03 का अधिकार नहीं मिलता है इसके साथ ही 15 KM दूर पदस्थापित अधिकारी को भी यह अधिकार नहीं दिया जाता है।



प्रश्न 17- मैं एक तृतीय श्रेणी अध्यापक हूँ। मैंने अक्टूबर 2015 में 3 लाख रुपये का राज्य बीमा ऋण लिया। भूलवश मेरे राज्य बीमा ऋण के मूल में 52 हजार रुपये और ब्याज में 18 हजार रुपये अधिक कट गए। अब मैं वह अधिक कटी राशि प्राप्त करने के लिए क्या करूँ ?

उत्तर→ राज्य बीमा ऋण अथवा ब्याज की कटौती यदि अधिक हो जाती है तो उसका ऑटो

समायोजन नहीं होता है इस के समाधान हेतु निम्न प्रक्रिया पूर्ण कर आवेदन पत्र जिले के GPF ऑफिस में ऑफलाइन प्रस्तुत करें।

वहाँ से आवश्यक जाँच पूर्ण कर आपके द्वारा किये गए अधिक भुगतान का रिफण्ड बिल बन कर आपके खाते में सीधा पुनः भुगतान होगा।

1 ➡ उठाये गए ऋण की सम्पूर्ण कटौती का पूर्ण विवरण तैयार करे जिसमें क्रम संख्या, माह का नाम, बिल नम्बर एवम बिल दिनांक, TV नम्बर, भुगतान तिथि, मासिक कटौती प्रीमियम, लोन, ब्याज आदि का विवरण अंकित हो।

2 ➡ साथ ही लोन की सम्पूर्ण कटौती के विवरण अनुसार GA 55 सलग्न करे।

3 ➡ आपके बैंक a/c जिसमें आपका वेतन जमा होता है उसके पास बुक के प्रथम पेज की फोटोकॉपी या उस खाते का एक कैंसिल चेक साथ में लगावे।

नोट सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर अपने -DDO से प्रमाणित करवाने के पश्चात आवेदन पत्र GPF ऑफिस प्रेषित करे।



प्रश्न 18- मैं अभी स्थानांतरित होकर नए विद्यालय में कार्यग्रहण कर चुका हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मुझे पूर्व स्कूल के टी ए बिल का भुगतान उठाना है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा ?

उत्तर ➡ आजकल वर्तमान स्कूल के TA बिल का भुगतान उठाने के लिए कर्मचारी को paymanager पर employee लॉगिन से अपने TA बिल जरनेट कर DDO को फॉरवर्ड करने पड़ते हैं जो वर्तमान DDO के पास जाते हैं।

फिर सम्बन्धित DDO बजट आने पर अपने DDO लॉगिन से TA बिल बना कर उसे validate कर ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देते हैं जहाँ से बिल पास होने पर कार्मिक को भुगतान हो जाता है।

यदि किसी कार्मिक का ट्रांसफर हो जाता है एवम वह कोई बकाया TA अपनी employee login से सम्मिट करता है तो वह भी वर्तमान DDO के पास आयेगा फिर रिपोर्ट से उसकी हार्ड कॉपी निकाल कर पुरानी स्कूल में जमा कराएगा ।

पुराना डीडीओ Add transfar employee ऑप्शन में वर्तमान स्कूल की आईडी डालकर संबंधित कार्मिक के बिल निकालेगा एवम यात्रा प्रमाणित कर आगे की समस्त कार्यवाही करते हुए TA बिल ट्रेजरी को भेजेगा।

विशेष नोट ➡ अगर बिल कालातीत है तो कालातीत बिलों पर की जाने वाली कार्रवाई के पश्चात बिल ट्रेजरी भेजे जाएंगे।



प्रश्न 19- दिसम्बर माह में हितकारी निधि राशि कटनी है। यह कितनी है और कैसे काटनी है ?

उत्तर राशि राजपत्रित कार्मिकों के लिए हय 500 रुपये और अराजपत्रित कार्मिकों के लिए 250 रुपये कटौती करनी है।

इसके लिए Bill preparation> Salary preparation> Add group Dependent Deduction में जाकर हितकारी निधि निर्धारित दर के अनुसार काटनी है।

हितकारी निधि कटौती करने पर कार्मिक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में 1.50 लाख रुपये की

सहायता राशि प्रदान की जाती है अतः दिसम्बर माह के वेतन से यह कटौती जरूर करे।

नोट -यह कटौती केवल शिक्षा विभागीय कार्मिकों पर लागू होती है और प्रोबेशनर सहित सभी कार्मिकों की कटौती अनिवार्य है।



प्रश्न 20- एक कार्मिक का प्रश्न है कि उसकी 2012 की नियुक्ति है। उसकी सर्विस बुक खो चुकी है और डुप्लीकेट सर्विस बुक भी नहीं है। PF सुरक्षित है। अब नियमानुसार सर्विस बुक कैसे बनेगी ?

उत्तर ➡ सेवापुस्तिका बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसे बहुत सम्भाल कर रखना चाहिए। किसी कारण से सेवापुस्तिका खो जाती है तो निम्न प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।

1 ➡ सर्वप्रथम पुलिस थाने में सेवा पुस्तिका खो जाने की FIR दर्ज करानी पड़ती है जो DDO के माध्यम से की जाती है।

2 ➡ FIR की प्रति सलग्न कर सेवापुस्तिका खोने से सम्बंधित कारण सहित सम्पूर्ण विवरण लिख कर उचित माध्यम से नियुक्ति अधिकारी को सूचित किया जावे।

3 ➡ नियुक्ति अधिकारी सूचना मिलने पर उसकी एक जांच बैठा कर सम्पूर्ण तथ्यों की जाँच करवायेंगे।

4 ➡ जाँच रिपोर्ट के आधार पर सेवापुस्तिका खोने में किसी कार्मिक अधिकारी की लापरवाही दिखती / है तो उसके विरुद्ध CCA नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। उसके बाद कार्मिक के दूसरी सेवापुस्तिका बनाने की अनुमति जारी की जाती है।

5 ➡ दूसरी सेवा पुस्तिका बनाने के आदेश जारी होने के बाद वर्तमान DDO Duplicate सेवापुस्तिका उपलब्ध हो या पर्सनल फाइल में उपलब्ध आदेशों के अनुसार अथवा वह कार्मिक जहाँ जहाँ कार्यरत रहा वहाँ से सूचनाएं एकत्रित कर उसकी दूसरी नयी सेवापुस्तिका बनाएंगे।

नोट ➡ प्रत्येक कार्मिक को अपनी डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका बना कर हमेशा अपडेट रखनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो।



साभार पेमेनेजर इन्फो ग्रुप



NARESH RAKHECHA (Sr. Teacher)
GSS, JAWDIYA (PALI)